संख्या-1166/2026/2530/22-2-2025-17(1181)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो० हारून उर्फ पप्पू पुत्र श्री शमसुद्दीन, निवासी जनपद-आजमगढ़ की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-47796/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-19.12.2025), दिनांक 30.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो० हारून उर्फ पप्पू पुत्र श्री शमसुद्दीन, जो ग्राम-मोहम्मदपुर, थाना-गम्भीरपुर, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। दिनांक 17/18.02.2011 की रात्रि को मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली की सड़क के किनारे सरकारी शीशम के पेड़ को चोरी से काटकर पिकअप गाड़ी में लाद रहे थे। पुलिस ने सरकारी जीप से पीछा करते हुये पिकअप गाड़ी को रोकने का प्रयास किया और सिपाही नित्यानन्द सिंह ने पिकअप की चाभी निकालना चाहा तब बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर सिपाही नित्यानन्द सिंह को घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-441/2011 व 442/2011, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 382, 394, 397, 411 व 3/4 लो०स०क्षति०नि० अधि० एवं 4/10 उ०प्र० वन संरक्षण अधिनियम व 27, 25 आयुध अधिनियम में मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 06.10.2016 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.09.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी ने दिनांक 25.02.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 05 माह, 07 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94), 2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नारकर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी द्वारा किये गये अपराध को देखते हुए कारागार में निरूद्ध किया जाना आवश्यक होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 17/18.02.2011 की रात्रि को मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली की सड़क के किनारे सरकारी शीशम के पेड़ को चोरी से काटकर पिकअप गाड़ी में लाद रहे थे। पुलिस ने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

//shasanadesh.up.gov.in

सरकारी जीप से पीछा करते हुये पिकअप गाड़ी को रोकने का प्रयास किया और सिपाही नित्यानन्द सिंह ने पिकअप की चाभी निकालना चाहा तब बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर सिपाही नित्यानन्द सिंह को घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी की आयु 38 वर्ष, 07 माह होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मो० हारून उर्फ पप्पू पुत्र शमसुद्दीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो० हारून उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-598/2024) पुत्र श्री शमसुद्दीन, निवासी जनपद-आजमगढ़ की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1166/2026/2530(1)/22-2-2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-1166/2026/2530/22-2-2025-17(1181)/2025

दिनांकः 02 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो० हारून उर्फ पप्पू पुत्र श्री शमसुद्दीन, जो ग्राम-मोहम्मदपुर, थाना-गम्भीरपुर, जनपद-आजमगढ़ का निवासी है। दिनांक 17/18.02.2011 की रात्रि को मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली की सड़क के किनारे सरकारी शीशम के पेड़ को चोरी से काटकर पिकअप गाड़ी में लाद रहे थे। पुलिस ने सरकारी जीप से पीछा करते हुये पिकअप गाड़ी को रोकने का प्रयास किया और सिपाही नित्यानन्द सिंह ने पिकअप की चाभी निकालना चाहा तब बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर सिपाही नित्यानन्द सिंह को घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-441/2011 व 442/2011, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 382, 394, 397, 411 व 3/4 लो०स०क्षति०नि० अधि० एवं 4/10 उ०प्र० वन संरक्षण अधिनियम व 27, 25 आयुध अधिनियम में मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 06.10.2016 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.09.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी ने दिनांक 25.02.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 15 वर्ष, 05 माह, 07 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94), 2-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नारकर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी द्वारा किये गये अपराध को देखते हुए कारागार में निरूद्ध किया जाना आवश्यक होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 17/18.02.2011 की रात्रि को मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली की सड़क के किनारे सरकारी शीशम के पेड़ को चोरी से काटकर पिकअप गाड़ी में लाद रहे थे। पुलिस ने सरकारी जीप से पीछा करते हुये पिकअप गाड़ी को रोकने का प्रयास किया और सिपाही नित्यानन्द सिंह ने पिकअप की चाभी निकालना चाहा तब बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल से गोली मारकर सिपाही नित्यानन्द सिंह को घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी की आयु 38 वर्ष, 07 माह होने तथा अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मो० हारून उर्फ पप्पू पुत्र शमसुद्दीन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।